बैठक विवरण

आज दिनांक 1 जुलाई 2022 को 1 बजे प्राध्यापक परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए-

1. डॉ. हरिश्चन्द्र
2. डॉ. ललित कुमार
3. श्रीमती कृष्णा देवल
4. डॉ. बंशीलाल
5. श्रीमती ललिता यादव
6. श्री रामेश्वर लाल नोगिया
7. श्री सुरेश कुमार
8. श्री विक्रम टांक
9. श्री पंकज कुमार

1 अध्यक्ष एवं प्राचार्य श्री अर्जुनसिंह उज्ज्वल की अनुमति से सचिव डॉ. हरिश्चन्द्र द्वारा पिछली बैठक का विवरण पढ़कर सुनाया गया तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. बैठक के एजेन्डा, प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया बाबत निम्नांकित बिन्दुओं पर सचिव डॉ. हरिश्चन्द्र द्वारा चर्चा की गई।

(i) प्रथम वर्ष के विभिन्न संकायों में प्रवेश प्रभारियों का दायित्व।

(ii) प्रवेश नीति 2022-2023 के अनुसार बोनस अंक निर्धारण।

(iii) OBC के लिए जारी प्रमाण-पत्र (नॉन क्रीमीलेयर) एक वर्ष तक मान्य तथा उचित शपथ-पत्र के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य होगा।

(IV) EWS प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-2023) के ही मान्य होंगे और वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के EWS प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के साथ ही मान्य होंगे।

(V.) मास्टर सेटिंग्स में स्टूडेंट इनएक्टिव का नियंत्रण नोडल प्रभारी (स्नातक) श्री पंकज कुमार के पास रहेगा।

(VI) वर्तमान सत्र 2022-2023 में स्नातक प्रवेश प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु संकायवार एवं कक्षावार सीटों का निर्धारण सत्र 2022-2023 की प्रवेश नीति में निर्धारित कुल सीटों पर किया जाएगा, जहां कला और वाणिज्य संकाय में प्रति वर्ग 80 विद्यार्थी और विज्ञान संकाय में प्रति वर्ग 70 विद्यार्थी सीटों का निर्धारण उल्लेखित हुआ। संकाय व कक्षावार सीट मेट्रिक्स के निर्धारण के बदलाव के संबंध में आयुक्तालय से यदि कोई आदेश जारी होता है तो उस आदेश की अनुपालना में सीट मेट्रिक्स में बदलाव किया जा सकेगा।

3. U.G. प्रवेश प्रभारी ने निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की-
(i) प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय द्वारा जारी आदेशानुसार 27 जून 2022 से प्रारम्भ होगी।
(ii) ऑनलाइन आवेदन हेतु प्री मेरिट सेक्शन मेन्यू के विभिन्न टास्क पूरे करना, दस्तावेज़ ऑनलाइन चैक करना।
(iii) विद्यार्थी आवेदन के अंतर्गत स्वयं के मोबाइल नं. लिखें ताकि उनसे आपत्ति पर चर्चा हो सके।

4. श्री बंशीलाल द्वारा प्रवेश प्रक्रिया हेतु तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता जताई गई।

5. श्रीमती कृष्णा देवल ने कोविड से मृत्यु हो चुके परिजनों की संतानों को प्रवेश में नियमानुसार छूट की बात कही।

6. अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्राचार्य श्री अर्जुनसिंह उज्ज्वल ने परीक्षा कार्यों में संकाय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता पर हर्ष व्यक्त किया तथा शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने बताया कि-
(i) कोविड प्रमाण-पत्र धारी आवेदक को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश मिलेगा जिसके माता-पिता में से किसी की मृत्यु कोविड से हुई हो।
(ii) मेरिट लिस्ट आयुक्तालय के निर्देश मिलने के पश्चात जारी की जाएगी।
(iii) पूर्ण दिव्यांग को भी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश मिलेगा।

7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद सचिव डॉ. हरिश्चन्द्र द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा धन्यवाद ज्ञापन के साथ की गई।

(हस्ताक्षर)